<u>राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।</u>

S.B. Civil Misc Appeal No. 796 / 2017

Hdfc Ergo General Insurance Co Ltd

Versus

<u>Aditya And Ors</u>

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र अग्रवाल।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री दीपक खंडेलवाल की ओर से अधिवक्ता श्री विनय माथुर।

<u>:: आदेश ::</u> **28.7.2017**

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रकट किया कि वे प्रार्थना पत्र संख्या 17841/17 पर बल नहीं देते हैं।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र बल नहीं दिये जाने (Notepress) के आधार पर खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 17880/2017 पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22.3.2017 के तहत समस्त राशि उनके द्वारा दिनांक 07.7.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जरिए चैक जमा करा दी गयी है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.3.17 के क्रम में क्लेमेंट को 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अतः इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्देशित किया जावे कि

अवार्ड की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान क्लेमेंट को प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बाबत कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि क्लेमेंट की ओर से जमाशुदा अवार्ड राशि की 25 प्रतिशत राशि के भुगतान के क्रम में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.3.17 की रोशनी में भुगतान कर दिया जावे।

कार्यालय को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण को अन्य प्रकरण एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या **583/17** के साथ संलग्न कर चार **सप्ताह** बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

एम शर्मा/40